

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

पत्र संख्या ५० / खनिज-अनुज्ञापत्र/2008-09

दिनांक जनवरी 19, 2009

विषय:- शासनादेश संख्या 2999/VII-1-8-रिट/2003 देहरादून दिनांक 29-8-08 के अनुपालन में कार्यादेश जारी करने विषयक।

श्री सुशील कुमार पाल,
अध्यक्ष,
डोईवाला सहकारी श्रम संविदा समिति
चौदमारी रोड डोईवाला
देहरादून।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उप वन संरक्षक, चकराता वन प्रभाग कालसी देहरादून के पत्र संख्या 1645/10-4 दिनांक 23-12-08 द्वारा समिति को वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली टौन्स नदी प्लाट सं० 2 कालसी ब्लॉक के 25 एकड़ तथा रामपुर मण्डी के यमुना नदी के 28.42 एकड़ नदीतल क्षेत्र से उपखनिज चुगान/टिपान का खनन पट्टा निर्गत करने हेतु 1,42,04,340/- रु० एन०पी०बी० धनराशि 2,59,440/- रु० क्षतिपूरक वृक्षा रोपण तथा रीवर ट्रेनिंग कार्यों हेतु धनराशि रेत के लिये रु० 1.60 प्रति घ०मी० बजरी के लिये रु० 0.90/- प्रति घ०मी० तथा पत्थर हेतु रु० 1.42/- प्रति घ०मी० निर्धारित किया गया है।

ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म देहरादून द्वारा रामपुर मण्डी की यमुना नदी हेतु रु० 4,61,478/- व टौन्स नदी हरिपुर हेतु रु० 2,10,606/- कुल रु० 6,72,084/- प्रतिभूति राशि निर्धारित की गयी है।

अतः आप समिति द्वारा एन०पी०बी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा प्रतिभूति धनराशि यथाशीघ्र क्रमशः वन विभाग व खनिज विभाग में जमा कराना सुनिश्चित करें जिससे चुगान/टिपान कार्य हेतु समिति को कार्यादेश निर्गत किया जा सके।

Received
Sund
29/01/09

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
देहरादून।